

न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट, कोटा

पीठासीन अधिकारी : हरि मोहन मीना, आई०ए०एस०

(Bank Case)

Manual no- 75 / 2022

कैन फिन होम्स लिमिटेड, पंजीकृत कार्यालय 29/1, तृतीय तल, श्री एम.एन. कृष्णा राव रोड, बसावनगुडी, बैंगलोर-560004 एवं शाखा कार्यालय- 1-सी-18, एस.एफ.एस., प्रथम तल, आगे की ओर शीला चौधरी रोड, तलवण्डी, कोटा राजस्थान-324005
- प्रार्थी /सिक्वोर क्रेडिटर

बनाम

1. श्री लक्ष्मी नारायण पुत्र श्री सनवाल जी (ऋणी/अप्रार्थीगण)
पता- मकान नं.- 888, केशवपुरा, वार्ड नं. 37, जिला-कोटा (राज.)
2. श्रीमती मन्नी बाई पत्नि श्री लक्ष्मी नारायण (सहऋणी)
पता- मकान नं.- 888, केशवपुरा, वार्ड नं. 37, जिला-कोटा (राज.)
3. श्री उमा शंकर पुत्र श्री लक्ष्मी नारायण
पता- मकान नं.- 888, केशवपुरा, वार्ड नं. 37, जिला-कोटा (राज.)
4. श्री विजय कुमार रावल पुत्र श्री नन्द किशोर रावल (गारन्टर)
पता- मकान नं.- 888, केशवपुरा, वार्ड नं. 37, जिला-कोटा (राज.)
प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 14 दी सिक्यूरिटीजेशन रिक्सड्रक्शन आफ फाईनेयियल ऐसिटस एण्ड एनफोर्समेन्ट आफ सिक्यूरिटी इन्टरेस्ट एक्ट 2002

उपस्थित

श्री अमर सिंह नरुका, अभिभाषक प्रार्थी

आदेश

दिनांक: 17-05-2022

संक्षेप मे प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि कैन फिन होम्स लिमिटेड, पंजीकृत कार्यालय 29/1, तृतीय तल, श्री एम.एन. कृष्णा राव रोड, बसावनगुडी, बैंगलोर-560004 एवं शाखा कार्यालय- 1-सी-18, एस.एफ.एस., प्रथम तल, आगे की ओर शीला चौधरी रोड, तलवण्डी, कोटा राजस्थान से अप्रार्थी/ऋणी को प्रथम ऋण 5,00,000 (अक्षरे: रूपये पाच लाख मात्र) ऋण राशि दिनांक 23.02.2018 व द्वितीय ऋण 6,50,000 (अक्षरे: रूपये छ लाख पचास हजार मात्र) ऋण राशि दिनांक 31.03.2018 को, इस प्रकार दोनो खातों में कुल ऋण रु. 11,50,000 (अक्षरे: रूपये ग्यारह लाख पचास हजार मात्र) लिया था। अप्रार्थी ऋणी द्वारा उक्त ऋण की सुविधा के ऐवज में ऋण व उसके मय ब्याज के पुनर्भुगतान हेतु सिक्वोरिटी के रूप मे अचल सम्पत्ति श्री लक्ष्मी नारायण पुत्र श्री सनवाल जी की सम्पत्ति जो कि मकान नं. 888, केशवपुरा, वार्ड नं. 37, जिला कोटा (राज.) में स्थित है। जिसकी माप लगभग 450 वर्ग फीट है। सीमाएं- पूर्व में- मकान नं. 889, पश्चिम में- मकान नं. 887, उत्तर में- मकान नं. 841 दक्षिण में- रोड है, को प्रार्थी वित्तीय संस्था के पक्ष में गिरवीकृत किया गया था। अप्रार्थीगण ने नियमित रूप से प्रार्थी का उक्त ऋण का भुगतान नहीं कर सका और ऋण के भुगतान में व्यक्तिक्रम व डिफाल्ट होने पर प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा अप्रार्थी के खाते को दिनांक 28.02.2021 को एन.पी.ए. कर दिया गया। अप्रार्थी उसके खाते मे 8,75,924/- (अक्षरे रूपये आठ लाख पिचहत्तर हजार नो सौ चोईस मात्र।) बकाया रकम दिनांक 04.04.2021 तक शेष देय है व आगे की बकाया राशि मय ब्याज व खर्च पूर्णभुगतान करने तक के लिए अप्रार्थी जिम्मेदार है। प्रार्थी वित्तीय संस्था ने उक्त एक्ट की धारा 13(2) के तहत दिनांक 05.04.2021 को रजिस्टर्ड

जिला मजिस्ट्रेट
कोटा (राज०)

डाक से नोटिस भी अप्रार्थीगण को प्रेषित किये गये, नोटिस प्राप्ति के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज चुकाने में चूक की है। ऋणी द्वारा बंधक सम्पत्ति का कब्जा भी प्रार्थी वित्तीय संस्था को नहीं संभलाया है। प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 की धारा 14 के तहत उपरोक्त खाते में देय राशि के पुर्नभुगतान हेतु रहनशुदा सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था को जरिये पुलिस इमदाद संभलाने के लिये यह प्रार्थना पत्र जरिये अभिभाषक प्रस्तुत किया गया।

अभिभाषक प्रार्थी को सुना गया। अभिभाषक प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए प्रकट किया कि अप्रार्थीगणों ने उनके खाते में देय ऋण राशि मय ब्याज की राशि के भुगतान हेतु उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के तहत दिनांक 05.04.2021 को रजिस्टर्ड डाक से नोटिस अप्रार्थीगण को प्रेषित किये गये, नोटिस प्राप्ति के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज चुकाने में चूक की है। अतः उपरोक्त वर्णित सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था को या उसके द्वारा नियुक्त व्यक्ति को दिलवाने का आदेश फरमाते हुए प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावे।

हमने बहस पर मनन किया एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया। प्रार्थी वित्तीयसंस्था द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के तहत दिनांक 05.04.2021 को रजिस्टर्ड डाक से नोटिस भी अप्रार्थीगण को प्रेषित किये गये, नोटिस प्राप्ति के पश्चात भी मांग की गई राशि का अप्रार्थी द्वारा भुगतान नहीं किया है। अतः प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है ऋणी/बंधककर्ता अचल सम्पत्ति श्री लक्ष्मी नारायण पुत्र श्री सनवाल जी की सम्पत्ति जो कि मकान नं. 888, केशवपुरा, वार्ड नं. 37, जिला कोटा (राज.) में स्थित है। जिसकी माप लगभग 450 वर्ग फीट है। सीमाएं— पूर्व में— मकान नं. 889, पश्चिम में— मकान नं. 887, उत्तर में— मकान नं. 841 दक्षिण में— रोड है, का भौतिक कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा जरिये संबंधित पुलिस थाना इमदाद प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। उक्त सम्पत्ति का कब्जा दिलाने हेतु पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों के वेतन भत्ता व यात्रा व्यय आदि का भुगतान नियमों में देय है तो संबंधित वित्तीय संस्था द्वारा वहन किया जायेगा। आदेश की प्रति पुलिस अधीक्षक (शहर) कोटा को हस्ब कायदा जारी हो। सम्पत्ति के स्वामित्व अथवा कब्जे को लेकर किसी भी तरह का विवाद होने की स्थिति में यह आदेश क्रियान्वित ना कर विवाद के संक्षिप्त विवरण सहित इस न्यायालय को लौटाया जावे।

आदेश आज दिनांक 17-05-2022 को सुनाया गया।

(हरि मोहन मीना)
जिला मजिस्ट्रेट, कोटा

जिला मजिस्ट्रेट
कोटा (राज.)